

वित्त लेखे, संघ सरकार  
FINANCE ACCOUNTS, UNION GOVERNMENT

सरकार द्वारा दी गई गारंटियां : अपेक्षित प्रकटीकरण (आई.जी.एस-1)

GUARANTEES GIVEN BY GOVERNMENT: DISCLOSURE REQUIREMENTS (IGAS-1)

(क) संघ सरकार द्वारा वर्ष 2012-13 के दौरान दी गई गारंटियों के संबंध में सेक्टरवार प्रकटीकरण

(a) Sector-wise disclosures in respect of Guarantees given by the Union Government during the year 2012-13: -

मंत्रालय/विभाग का नाम	वर्ष के दौरान गारंटीकृत अधिकतम राशि	वर्ष के आरंभ में बकाया	वर्ष के दौरान परिवर्धन	वर्ष के दौरान विलोपन (वर्ष के दौरान याचित के अलावा)	वर्ष के दौरान मांगी गई	वर्ष के अंत में बकाया	गारंटी कमीशन अथवा फीस		
Name of Ministry/ Department	Maximum Amount Guaranteed during the year	Outstanding at the beginning of the year	Additions during the year	Deletion during the year (Other than invoked during the year)	Invoked during the year	Outstanding at the end of the year	Guarantee Commission or Fee		
					उन्मोचित Discharged	अननुमोचित Not Discharged	प्राप्य Receivable	प्राप्त की गई Received	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

करोड़ रुपयों में )  
(In crore of rupees)

**क्षेत्र - (i) - विद्युत**

**Sector - (i) - Power**

**वर्ग- (ii)** शेयर पूंजी की पुनर्दायगी, न्यूनतम वार्षिक लाभांश की अदायगी और सांविधिक निगमों तथा वित्तीय संस्थाओं द्वारा जारी किए गए/वसूल किए गए बांडों/कर्जों, डिबेंचरों की पुनर्दायगी के लिए लिए दी गई गारंटियां -

**Class - (ii)** Guarantees given for repayment of share capital, payment of minimum annual dividend and repayment of bonds/loans, debentures issued/raised by the statutory corporations and financial institutions: -

विद्युत मंत्रालय

MINISTRY OF POWER	7000.00	4400.00	2600.00	—	—	—	7000.00	45.02	45.02
	(2)	(1)	(1)				(2)		

**वर्ग- (iii)** भारत सरकार द्वारा अन्तर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाओं, उधार देने वाले विदेशी अभिकरणों, विदेशी सरकारों, ठेकेदारों, परामर्शदाताओं आदि के साथ किए गए करारों के अनुसरण में मूलधन की पुनर्दायगी, उनके द्वारा लिए गए कर्जों आदि पर ब्याज/वचनबद्धता प्रभारों आदि की अदायगी के बारे में और कम्पनियों, निगमों/पत्तन न्यासों आदि के सम्बन्ध में क्रेडिट के आधार पर सामग्री और उपस्करों की आपूर्ति संबंधी करारों के लिए की गई अदायगी के अनुसरण में दी गई गारंटियां:-

**Class – (iii)** Guarantees given in pursuance of agreements entered into by the Government of India with international financial institutions, foreign lending agencies, foreign Governments, contractors, consultants, etc., towards repayment of principal, payment of interest/commitment charges on loans, etc., by them, and payment against agreements for supplies of material and equipment on credit basis, to the companies, corporations/Port Trusts, etc:–

विद्युत मंत्रालय

Ministry of Power	27994.88 (42)	24109.49 (42)	3885.39	2001.77	—	—	25993.11 (42)	295.22	295.22
-------------------	------------------	------------------	---------	---------	---	---	------------------	--------	--------

नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय

Ministry of New and

Renewable Energy	3182.00 (8)	2378.14	803.86 (8)	69.25	—	—	3112.75 (8)	27.66	30.91
------------------	----------------	---------	---------------	-------	---	---	----------------	-------	-------

कोयला मंत्रालय

Ministry of Coal	2095.33 (5)	2079.97 (5)	15.36	249.81	—	—	1845.52 (5)	20.37	23.09
------------------	----------------	----------------	-------	--------	---	---	----------------	-------	-------

**क्षेत्र - (ii) - सहकारी समिति**

**Sector - (ii) - Co-operative**

**वर्ग-(i)** भारतीय रिजर्व बैंक, अन्य बैंकों, औद्योगिक वित्तीय संस्थाओं, नामतः भारतीय औद्योगिक वित्त निगम, भारतीय औद्योगिक विकास बैंक, भारतीय जीवन बीमा निगम, यूनिट ट्रस्ट आफ इंडिया आदि को मूलधन की पुनर्अदायगी और ब्याज की अदायगी, रोकड़ उधार संबंधी सुविधा, मौसमी कृषि संबंधी कार्यो का वित्तपोषण करने और कंपनियों, निगमों, सहकारी समितियों तथा सहकारी बैंकों के सम्बन्ध में कार्यचालन पूंजी प्रदान करने हेतु दी गई गारंटियां।

**Class - (i)** Guarantees given to the Reserve Bank of India, other banks, industrial financial institutions viz., Industrial Finance Corporation of India, Industrial Development Bank of India, Life Insurance Corporation of India, Unit Trust of India, etc., for repayment of principal and payment of interest, cash credit facility, financing seasonal agricultural operations and for providing working capital in respect of companies, corporations, co-operative societies and co-operative banks.

कृषि मंत्रालय

Ministry of Agriculture	0.23 (1)	0.23 (1)	—	0.23 (1)	—	—	—	—	—
-------------------------	-------------	-------------	---	-------------	---	---	---	---	---

**क्षेत्र - (iii) - सिंचाई**

**Sector - (iii) - Irrigation**

— शून्य / NIL —

**वित्त लेखे, संघ सरकार**  
**FINANCE ACCOUNTS, UNION GOVERNMENT**  
**सरकार द्वारा दी गई गारंटियां : अपेक्षित प्रकटीकरण (आई.जी.ए.एस-1)...जारी**  
**GUARANTEES GIVEN BY GOVERNMENT: DISCLOSURE REQUIREMENTS (IGAS-1)--Contd.**

मंत्रालय/विभाग का नाम	वर्ष के दौरान गारंटीकृत अधिकतम राशि	वर्ष के आरंभ में बकाया	वर्ष के दौरान परिवर्धन	वर्ष के दौरान विलोपन (वर्ष के दौरान याचित के अलावा)	वर्ष के दौरान मांगी गई	वर्ष के दौरान	वर्ष के अंत में बकाया	गारंटी कमीशन अथवा फीस
Name of Ministry/ Department	Maximum Amount Guaranteed during the year	Outstanding at the beginning of the year	Additions during the year	Deletion during the year (Other than invoked during the year)	Invoked during the year	Outstanding at the end of the year	Guarantee Commission or Fee	
					उन्मोचित Discharged	अननुमोचित Not Discharged		प्राप्त की गई Receivable
1	2	3	4	5	6	7	8	9
								10

(करोड़ रुपयों में)  
(In crore of rupees)

**क्षेत्र - (iv) - सड़क और परिवहन**  
**Sector - (iv) - Road and Transport**

**वर्ग-(ii)** शेयर पूंजी की पुनर्अदायगी, न्यूनतम वार्षिक लाभांश की अदायगी और सांविधिक निगमों तथा वित्तीय संस्थाओं द्वारा जारी किए गए/वसूल किए गए बांडों/कर्जों, डिबेंचरों की पुनर्अदायगी के लिए दी गई गारंटियां:-

**Class - (ii)** Guarantees given for repayment of share capital, payment of minimum annual dividend and repayment of bonds/loans, debentures issued/raised by the statutory corporations and financial institutions: -

रेल मंत्रालय								
Ministry of Railway	59.08	59.08	—	0.01	—	—	59.07	0.59
	(4)	(4)		(1)			(3)	

**वर्ग-(iii)** भारत सरकार द्वारा अन्तर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाओं, उधार देने वाले विदेशी अभिकरणों, विदेशी सरकारों, ठेकेदारों, परामर्शदाताओं आदि के साथ किए गए करारों के अनुसरण में मूलधन की पुनर्अदायगी, उनके द्वारा लिए गए कर्जों आदि पर ब्याज/वचनबद्धता प्रभार आदि की अदायगी के बारे में और कम्पनियों, निगमों/पत्तन न्यासों आदि के सम्बन्ध में क्रेडिट के आधार पर सामग्री और उपस्करों की आपूर्ति संबंधी करारों के लिए की गई अदायगी के अनुसरण में दी गई गारंटियां:-

**Class - (iii)** Guarantees given in pursuance of agreements entered into by the Government of India with international financial institutions, foreign lending agencies, Governments, contractors, consultants, etc., towards repayment of principal, payment of interest/commitment charges on loans, etc., by them, and payment against agreements for supplies of material and equipment on credit basis, to the companies, corporations/Port Trusts, etc:-

नागर विमानन मंत्रालय Ministry of Civil Aviation	32964.38 (20)	20062.13 (19)	12902.25 (1)	5513.64	—	—	27450.74 (20)	98.58	1.06
सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय Ministry of Road Transport and Highways	700.44 (1)	659.13 (1)	41.31	26.72	—	—	673.72 (1)	1.65	1.65

#### क्षेत्र - (v) - राज्य वित्तीय निगम

#### Sector - (v) - State Financial Corporations

— शून्य / NIL —

#### क्षेत्र - (vi) - शहरी विकास और आवास

#### Sector - (vi) - Urban Development and Housing

**वर्ग-(iii)** भारत सरकार द्वारा अन्तर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाओं, उधार देने वाले विदेशी अभिकरणों, विदेशी सरकारों, ठेकेदारों, परामर्शदाताओं आदि के साथ किए गए करारों के अनुसरण में मूलधन की पुनर्अदायगी, उनके द्वारा लिए गए कर्जों आदि पर ब्याज/वचनबद्धता प्रभार आदि की अदायगी के बारे में और कम्पनियों, निगमों/पत्तन न्यासों आदि के सम्बन्ध में क्रेडिट के आधार पर सामग्री और उपस्करों की आपूर्ति संबंधी करारों के लिए की गई अदायगी के अनुसरण में दी गई गारंटियां:-

**Class - (iii)** Guarantees given in pursuance of agreements entered into by the Government of India with international financial institutions, foreign lending agencies, foreign Governments, contractors, consultants, etc., towards repayment of principal, payment of interest/commitment charges on loans, etc., by them, and payment against agreements for supplies of material and equipment on credit basis, to the companies, corporations/Port Trusts, etc:-

शहरी विकास मंत्रालय Ministry of Urban Development	209.26 (2)	—	209.26 (2)	—	—	—	209.26 (2)	2.51	—
--	---------------	---	---------------	---	---	---	---------------	------	---

**वित्त लेखे, संघ सरकार**  
**FINANCE ACCOUNTS, UNION GOVERNMENT**  
**सरकार द्वारा दी गई गारंटियां : अपेक्षित प्रकटीकरण (आई.जी.ए.एस-1)...जारी**  
**GUARANTEES GIVEN BY GOVERNMENT: DISCLOSURE REQUIREMENTS (IGAS-1)--Contd.**

मंत्रालय/विभाग का नाम	वर्ष के दौरान गारंटीकृत अधिकतम राशि	वर्ष के आरंभ में बकाया	वर्ष के दौरान परिवर्धन	वर्ष के दौरान विलोपन (वर्ष के दौरान याचित के अलावा)	वर्ष के दौरान मांगी गई		वर्ष के अंत में बकाया	गारंटी कमीशन अथवा फीस	
Name of Ministry/ Department	Maximum Amount Guaranteed during the year	Outstanding at the beginning of the year	Additions during the year	Deletion during the year (Other than invoked during the year)	Invoked during the year		Outstanding at the end of the year	Guarantee Commission or Fee	
					उन्मोचित Discharged	अननुमोचित Not Discharged		प्राप्य Receivable	प्राप्त की गई Received
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
आवास और शहरी गरीबी निवारण मंत्रालय Ministry of HUPA	657.53 (2)	635.80 (2)	21.73	71.83	—	—	585.70 (2)	5.35	5.35

करोड़ रुपयों में)  
(In crore of rupees)

**वर्ग-(vi)** विदेशों में भारतीय कंपनियों को दिए गए ठेकों/परियोजनाओं को पूरा करने हेतु दी गई निष्पादन गारंटियां:-

**Class - (vi)** Performance guarantees given for fulfillment of contracts/projects awarded to Indian companies in foreign countries: -

शहरी विकास मंत्रालय Ministry of Urban Development	—	—	—	—	—	—	—	1.50	2.99
---	---	---	---	---	---	---	---	------	------

**क्षेत्र - (vii) - अन्य अवसंरचना**  
**Sector - (vii) - Other Infrastructure**

**वर्ग- (ii)** शेयर पूंजी की पुनर्अदायगी, न्यूनतम वार्षिक लाभांश की अदायगी और सांविधिक निगमों तथा वित्तीय संस्थाओं द्वारा जारी किए गए/वसूल किए गए बांडों/कर्जों, डिबेंचरों की पुनर्अदायगी के लिए दी गई गारंटियां:—  
**Class - (ii)** Guarantees given for repayment of share capital, payment of minimum annual dividend and repayment of bonds/loans, debentures issued/raised by the statutory corporations and financial institutions: -

संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय  
 Ministry of Communications  
 and Information Technology  
 दूरसंचार विभाग  
 Department of  
 Telecommunications

1007.10	2.10	1005.00	—	—	—	1007.10	45.79	10.05
(2)	(1)	(1)				(2)		

**क्षेत्र - (viii) - कोई अन्य**  
**Sector - (viii) - Any Other**

**वर्ग- (i)** भारतीय रिजर्व बैंक, अन्य बैंकों, औद्योगिक वित्तीय संस्थाओं, नामतः भारतीय औद्योगिक वित्त निगम, भारतीय औद्योगिक विकास बैंक, भारतीय जीवन बीमा निगम, यूनिट ट्रस्ट आफ इंडिया आदि को मूलधन की पुनर्अदायगी और ब्याज की अदायगी, रोकड़ उधार संबंधी सुविधा, मौसमी कृषि संबंधी कार्यों का वित्तपोषण करने और कंपनियों, निगमों, सहकारी समितियों तथा सहकारी बैंकों के सम्बन्ध में कार्यचालन पूंजी प्रदान करने हेतु दी गई गारंटियां।

**Class - (i)** Guarantees given to the Reserve Bank of India, other banks, industrial financial institutions viz., Industrial Finance Corporation of India, Industrial Development Bank of India, Life Insurance Corporation of India, Unit Trust of India, etc., for repayment of principal and payment of interest, cash credit facility, financing seasonal agricultural operations and for providing working capital in respect of companies, corporations, co-operative societies and co-operative banks.

उपभोक्ता कार्य, खाद्य एवं  
 सार्वजनिक वितरण मंत्रालय

54495.00	44495.00	10000.00	—	—	—	54495.00	—	—
(2)	(2)					(2)		

उद्योग मंत्रालय, भारी उद्योग विभाग  
 Ministry of Industry  
 Deptt of Heavy Industries

479.01	479.01	—	—	—	—	479.01	19.58	5.70
(9)	(9)					(9)		

**वित्त लेखे, संघ सरकार**  
**FINANCE ACCOUNTS, UNION GOVERNMENT**  
**सरकार द्वारा दी गई गारंटियां : अपेक्षित प्रकटीकरण (आई.जी.ए.एस-1)...जारी**  
**GUARANTEES GIVEN BY GOVERNMENT: DISCLOSURE REQUIREMENTS (IGAS-1)--Contd.**

मंत्रालय/विभाग का नाम	वर्ष के दौरान गारंटीकृत अधिकतम राशि	वर्ष के आरंभ में बकाया	वर्ष के दौरान परिवर्धन	वर्ष के दौरान विलोपन (वर्ष के दौरान याचित के अलावा)	वर्ष के दौरान मांगी गई	वर्ष के दौरान	वर्ष के अंत में बकाया	गारंटी कमीशन अथवा फीस	
Name of Ministry/ Department	Maximum Amount Guaranteed during the year	Outstanding at the beginning of the year	Additions during the year	Deletion during the year (Other than invoked during the year)	Invoked during the year	Outstanding at the end of the year	Guarantee Commission or Fee		
					उन्मोचित Discharged	अननुमोचित Not Discharged		प्राप्य Receivable	प्राप्त की गई Received
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय, खादी और ग्रामोद्योग आयोग Ministry of Micro, Small and Medium Enterprises, Khadi & Village Industries Commission (KVIC)	292.54 (1)	292.54 (1)	—	4.54	—	—	288.00 (1)	62.75	—
रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय तथा रसायन एवं पेट्रोसायन विभाग Ministry of Chemicals and Fertilizers Department of Chemicals and Petrochemicals	3.59 (1)	2.55 (1)	1.04	—	—	—	3.59 (1)	—	—
औषध निर्माण विभाग Department of Pharmaceuticals	1055.28 (5)	1039.56 (5)	15.72	15.60 (1)	—	—	1039.68 (4)	63.87	—

(In crore of rupees)

इस्पात मंत्रालय Ministry of Steel	50.00 (1)	50.00 (1)	—	25.00	—	—	25.00 (1)	0.50	0.50
वित्त मंत्रालय Ministry of Finance	21266.98 (17)	20959.86 (17)	307.12	—	—	—	21266.98 (17)	59.58	57.16

**वर्ग-(ii)** शेयर पूंजी की पुनर्अदायगी, न्यूनतम वार्षिक लाभांश की अदायगी और सांविधिक निगमों तथा वित्तीय संस्थाओं द्वारा जारी किए गए/वसूल किए गए बांडों/कर्जों, डिबेंचरों की पुनर्अदायगी के लिए दी गई गारंटियां:-

**Class - (ii)** Guarantees given for repayment of share capital, payment of minimum annual dividend and repayment of bonds/loans, debentures issued/raised by the statutory corporations and financial institutions: -

उपभोक्ता कार्य, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय Ministry of Consumer Affairs, Food and Public Distribution	8989.12 (18)	3989.12 (17)	5000.00 (1)	—	—	—	8989.12 (18)	—	—
इस्पात मंत्रालय Ministry of Steel	32.00 (1)	32.00 (1)	—	16.00	—	—	16.00 (1)	0.32	0.32
रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय रसायन एवं पेट्रो रसायन विभाग Ministry of Chemicals and Fertilizers Department of Chemicals and Petrochemicals	100.00 (1)	100.00 (1)	—	—	—	—	100.00 (1)	1.00	—
वित्त मंत्रालय, आर्थिक कार्य विभाग Ministry of Finance Department of Economic Affairs	2136.18 (6)	2136.18 (6)	—	—	—	—	2136.18 (6)	—	—



**वित्त लेखे, संघ सरकार**  
**FINANCE ACCOUNTS, UNION GOVERNMENT**  
**सरकार द्वारा दी गई गारंटियां : अपेक्षित प्रकटीकरण (आई.जी.एस-1)...जारी**  
**GUARANTEES GIVEN BY GOVERNMENT: DISCLOSURE REQUIREMENTS (IGAS-1)--Contd.**

मंत्रालय/विभाग का नाम	वर्ष के दौरान गारंटीकृत अधिकतम राशि	वर्ष के आरंभ में बकाया	वर्ष के दौरान परिवर्धन	विलोपन (वर्ष के दौरान याचित के अलावा)	वर्ष के दौरान मांगी गई	वर्ष के अंत में बकाया	गारंटी कमीशन अथवा फीस		
Name of Ministry/ Department	Maximum Amount Guaranteed during the year	Outstanding at the beginning of the year	Additions during the year	Deletion during the year (Other than invoked during the year)	Invoked during the year	Outstanding at the end of the year	Guarantee Commission or Fee		
					उन्मोचित Discharged	अननुमोचित Not Discharged	प्राप्त Receivable	प्राप्त की गई Received	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

(करोड़ रुपयों में)

(In crore of rupees)

**वर्ग-(iii)** भारत सरकार द्वारा अन्तर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाओं, उधार देने वाले विदेशी अभिकरणों, विदेशी सरकारों, ठेकेदारों, परामर्शदाताओं आदि के साथ किए गए करारों के अनुसरण में मूलधन की पुनर्अदायगी, उनके द्वारा लिए गए कर्जों आदि पर ब्याज/वचनबद्धता प्रभार आदि की अदायगी के बारे में और कम्पनियों, निगमों/पत्तन न्यासों आदि के सम्बन्ध में क्रेडिट के आधार पर सामग्री और उपस्करों की आपूर्ति संबंधी करारों के लिए की गई अदायगी के अनुसरण में दी गई गारंटियां:-

**Class-(iii)** Guarantees given in pursuance of agreements entered into by the Government of India with international financial institutions, foreign lending agencies, foreign Governments, contractors, consultants, etc., towards repayment of principal, payment of interest/commitment charges on loans, etc., by them, and payment against agreements for supplies of material and equipment on credit basis, to the companies, corporations/Port Trusts, etc:-

इस्पात मंत्रालय Ministry of Steel	535.80 (2)	461.44 (2)	74.36	84.42	—	—	451.38 (2)	1.11	1.15
सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय Ministry of Micro, Small and Medium Enterprises, (NSIC)	62.89 (3)	61.83 (3)	1.06	2.03	—	—	60.86 (3)	0.69	0.41

वित्त मंत्रालय, आर्थिक कार्य विभाग Ministry of Finance									
Department of Economic Affairs	71147.28 (92)	63324.07 (90)	7823.21 (2)	1064.76	—	—	70082.52 (92)	125.21	121.96
वाणिज्य विभाग Department of Commerce	4.40 (1)	4.40 (1)	—	0.65	—	—	3.75 (1)	0.06	0.06
विदेश मंत्रालय Ministry of External Affairs	5784.45 (2)	4407.20 (1)	1377.25 (1)	—	—	—	5784.45 (2)	—	—
इस्पात मंत्रालय Ministry of Steel	610.36 (8)	610.36 (8)	—	—	—	—	610.36 (8)	32.94	5.18

**वर्ग- (iv)** विदेशी पूर्तिकर्ताओं को उनके द्वारा उधार के आधार पर की गई पूर्तियों/दी गई सेवाओं के लिए निम्नलिखित कंपनियों/निगमों द्वारा जारी किए गए प्राधिकार पत्रों के सम्बन्ध में बैंकों को दी गई प्रति-गारंटियां:—

**Class - (iv)** Counter-guarantees to banks in consideration of the banks having issued letters of authority to foreign suppliers for supplies/services made/rendered by them on credit basis, in favour of the companies/corporations:—